भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1157

मंगलवार, 03 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

टेक स्टार्टअप्स में महिलाओं की भागीदारी

1157. डॉ. निशिकान्त दुबेः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान टेक स्टार्टअप्स में शामिल महिलाओं की भागीदारी के आंकड़े अनुरक्षित किए गए हैं, यदि हां, तो राज्य-वार/वर्ष-वार/जिला-वार, विशेषकर झारखंड में, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टार्टअप में राज्य-वार/वर्ष-वार/जिला-वार, विशेषकर झारखंड में निधियों के आबंटन सहित महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और समर्थन देने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): सरकार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) से स्टार्टअप्स के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियों के आंकड़े रखती है, जिसमें कम से कम एक महिला निदेशक वाले स्टार्टअप्स के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियां भी शामिल हैं।

सा.का.नि. अधिसूचना संख्या 127 (अ) दिनांक 19 फरवरी, 2019 के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार, डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, कंपनियों को 'स्टार्टअप्स' के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। 31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, 1,52,139 कंपनियों को 'स्टार्टअप्स' के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। 31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, विगत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2021, 2022, 2023 और चालू वर्ष 2024 के दौरान, इनमें से 14,353 कंपनियों को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्रदान की गई है जिसमें कम से कम एक महिला निदेशक हैं।

31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2021, 2022, 2023 और चालू वर्ष 2024 के दौरान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्टार्टअप्स के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियों, जिसमें कम से कम एक महिला निदेशक हैं, की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2021, 2022, 2023 और चालू वर्ष 2024 के दौरान, विशेष रूप से झारखंड राज्य के संबंध में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्टार्टअप्स के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियों, जिसमें कम से कम एक महिला निदेशक हैं, की जिला-वार संख्या **अनुबंध-II** में दी गई है।

(ख): सरकार, स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स में महिला भागीदारी को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। सरकार की ऐसी पहलों का ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार तीन प्रमुख स्कीमों को कार्यान्वित कर रही है, नामतः स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस),स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस), ताकि सभी श्रेणियों और क्षेत्रों के स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान किया जा सके।

एफएफएस को उद्यम पूंजी निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए स्थापित किया गया है और यह भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा प्रचालनरत है, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)- पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) को पूंजी प्रदान करती है जो बदले में स्टार्टअप्स में निवेश करती है। एफएफएस के अंतर्गत सहायता प्राप्त एआईएफ को, स्टार्टअप्स में एफएफएस के तहत प्रतिबद्ध राशि का कम से कम दो गुना निवेश करना होता है। एआईएफ ने पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2021, 2022 तथा 2023 में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स में 1,542 करोड़ रूपए का निवेश किया गया है। पिछले तीन वर्षों में चयनित एआईएफ द्वारा महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स में निवेश की गई राशि की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची **अनुबंध-IV** में दी गई है।

एसआईएसएफएस इनक्यूबेटर्स के जरिए आरंभिक स्तर के स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। एसआईएसएफएस 01 अप्रैल, 2021 से कार्यान्वित है। इस स्कीम के तहत चयनित इनक्यूबेटर्स ने, पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2021, 2022 तथा 2023 में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स हेतु 155.6 करोड़ रूपए की निधि अनुमोदित की है। पिछले तीन वर्षों में चयनित इनक्यूबेटर्स द्वारा महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स की अनुमोदित निधियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची **अनुबंध-V** में दी गई है।

सीजीएसएस को पात्र वित्तीय संस्थानों [सदस्य संस्थान (एमआई)] के जरिए स्टार्टअप्स को समर्थकारी बंधकरहित ऋण प्रदान करने के लिए कार्यान्वित किया गया है। सीजीएसएस का राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी कंपनी (एनसीजीटीसी) लिमिटेड द्वारा प्रचालन किया जाता है और यह 01 अप्रैल, 2023 से प्रचालनरत है। 31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति के

अनुसार, पिछले वर्ष अर्थात् 2023 में सीजीएसएस के तहत महिला नेतृत्व वाले ऋण प्राप्तकर्त्ता स्टार्टअप्स को 13.6 करोड़ रूपए की ऋण राशि हेतु गारंटी प्रदान की गई है। वर्ष 2023 में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स ऋण प्राप्तकर्त्ताओं को जिस ऋण राशि पर गारंटी प्रदान की गई, उसकी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची **अनुबंध-VI** में दी गई है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 03.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1157 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2021, 2022, 2023 और चालू वर्ष 2024 के दौरान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्टार्टअप्स के रूप में मान्यताप्राप्त ऐसी कंपनियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या निम्नानुसार है जिसमें कम-से-कम एक महिला निदेशक हैं:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021	2022	2023	2024 (31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2	1	0	0
आंध्र प्रदेश	42	51	88	70
अरूणाचल प्रदेश	0	1	3	1
असम	22	26	26	26
बिहार	43	41	75	62
चंडीगढ़	13	10	14	16
छत्तीसगढ़	18	26	29	39
दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव	1	2	1	2
दिल्ली	337	295	376	241
गोवा	8	8	11	12
गुजरात	204	242	307	245
हरियाणा	163	175	223	182
हिमाचल प्रदेश	8	14	11	12
जम्मू और कश्मीर	6	13	15	18
झारखंड	20	28	40	22
कर्नाटक	411	448	493	443
केरल	148	160	167	128
लक्षद्वीप	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	72	106	159	111
महाराष्ट्र	567	629	659	558
मणिपुर	3	4	0	1
मेघालय	2	0	2	2
मिजोरम	0	1	1	1
नागालैंड	1	1	1	1
ओडिशा	56	55	98	48
पुदुचेरी	1	5	8	4
पंजाब	30	39	61	37
राजस्थान	77	109	188	135
सिक्किम	0	1	0	0
तमिलनाडु	219	322	417	315
तेलंगाना	200	233	317	248
त्रिपुरा	1	3	3	3
उत्तर प्रदेश	280	307	400	346
उत्तराखंड	8	27	33	15

पश्चिम बंगाल	93	119	127	98
कुल	**3,056**	**3,502**	**4,353**	**3,442**

*****

अनुबंध-II

दिनांक 03.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1157 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2021, 2022, 2023 और चालू वर्ष 2024 के दौरान झारखंड राज्य के लिए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप्स के रूप में मान्यताप्राप्त कंपनियां, जिसमें कम-से-कम एक महिला निदेशक हैं, की जिला-वार संख्या निम्नानुसार हैः

जिला	2021	2022	2023	2024 (31 अक्टूबर, 2024 की स्थिति के अनुसार)
बोकारो	1	4	4	1
देवघर	0	3	4	0
धनबाद	1	6	7	2
दुमका	1	0	0	0
पूर्वी सिंहभूम	1	4	5	4
गढ़वा	1	0	0	1
गिरिडीह	1	0	0	0
गुमला	0	0	1	0
हजारीबाग	1	0	0	0
जामतारा	1	0	0	0
खूंटी	0	0	0	1
पलामू	1	0	1	0
रामगढ़	0	0	1	0
रांची	11	8	14	12
सराईकेला खरसांवा	0	1	2	0
सिमडेगा	0	0	0	1
पश्चिमी सिंहभूम	0	2	1	0
कुल	**20**	**28**	**40**	**22**

*****

अनुबंध-III

दिनांक 03.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1157 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

झारखंड राज्य सहित संपूर्ण देश में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित किए गए कार्यक्रम:

1. महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप में इक्विटी और ऋण दोनों के अंतर्वाह को बढ़ावा देने के लिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा संचालित स्टार्टअप के लिए निधियों का कोष स्कीम में निधि का 10% महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए आरक्षित है।
2. महिलाओं द्वारा संचालित वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) उच्च स्तर के प्रबंधन शुल्क (0.1% प्रति वर्ष) के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं। यही लाभ उन एआईएफ को भी दिया जाता है, जो महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप पर केंद्रित हैं।
3. महिला क्षमता विकास कार्यक्रम (विंग) महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए एक विशिष्ट क्षमता विकास कार्यक्रम है, जो महत्वाकांक्षी और स्थापित दोनों महिला उद्यमियों को उनकी स्टार्टअप यात्रा को चिह्नित करने और सहायता करने के लिए है। प्रौद्योगिकी, निर्माण, उत्पाद, मशीन, खाद्य, कृषि, शिक्षा आदि सहित विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए कार्यशालाएं चलाई जाती हैं। ये कार्यशालाएं, उभरती महिला उद्यमियों और अन्य हितधारकों के लिए महिला उद्यमियों के सामने आने वाली प्रमुख पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती हैं। विंग कार्यशालाओं ने चुनौतियों का समाधान करने के लिए सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों और अनुभवों को साझा करने और भारतीय संदर्भ में अपनाए गए व्यावसायिक मॉडल से सीखने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया है।
4. महिला उद्यमियों के लिए वर्चुअल इन्क्यूबेशन कार्यक्रम, जोन स्टार्टअप्स के सहयोग से प्रो-बोनो एक्सेलेरेशन सहायता के साथ महिला नेतृत्व वाले टेक- स्टार्टअप्स की सहायता करने के लिए आयोजित किया गया था।
5. स्टार्टअप इंडिया हब: स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर महिला उद्यमियों को समर्पित एक वेबपेज डिजाइन किया गया है। इस पेज में महिला उद्यमियों के लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न नीतिगत उपाय शामिल हैं।
6. एसेन्ड स्टार्टअप कार्यशाला श्रृंखला और महिलाओं के लिए स्टार्टअप कार्यशालाएं: सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्यमियों, उभरते उद्यमियों और छात्रों के लिए स्टार्टअप कार्यशालाओं की एक श्रृंखला - एसेन्ड (एक्सीलरेटिंग स्टार्टअप कैलिबर एंड एंटरप्रेन्योरियल ड्राइव) का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त, ये कार्यशालाएं पूर्वोत्तर राज्यों में महिला उद्यमियों पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है। इन कार्यशालाओं में सरकारी अधिकारियों, स्टार्टअप, उभरते हुए उद्यमियों, निवेशकों, शैक्षणिक संस्थानों आदि जैसे ईकोसिस्टम हितधारकों की भागीदारी देखी गई है।

7. सुपर स्त्री पॉडकास्ट: भारत के सभी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिलाओं को उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से, भारतीय स्टार्टअप ईकोसिस्टम में महिलाओं पर सुपरस्त्री वीडियो पॉडकास्ट सीरिज शुरू की गई है। यह पॉडकास्ट महिलाओं में नवप्रयोग और देश में महिला उद्यमिता को और सुदृढ़ करने से संबंधित जागरूकता फैलाता है।
8. सरकार विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से तथा प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के द्वारा मौजूदा स्कीमों के बारे में भी जागरूकता उत्पन्न करती है। ये कार्यक्रम महिला उद्यमियों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को सहायता पहुंचाते हैं।
9. महिलाओं के लिए स्टार्टअप: महत्वाकांक्षी और मौजूदा महिला उद्यमियों की क्षमता निर्माण के लिए महिला उद्यमियों हेतु सभी राज्यों में राज्य कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इन कार्यशालाओं में सरकारी स्कीम के बारे में जागरूकता, मॉक पिचिंग और वित्त-संबंधी प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया।
10. राष्ट्रपति के साथ महिला उद्यमियों की वार्ता: 18 जनवरी 2024 को, "द प्रेसिडेंट विद द पीपल" पहल के अंतर्गत, भारत के माननीय राष्ट्रपति के साथ 25 महिला उद्यमियों को वार्ता करने का अवसर मिला। इस वार्ता में नवाचार को बढ़ावा देने, रोजगार सृजित करने और भारत के बढ़ते स्टार्टअप ईकोसिस्टम में योगदान देने में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। माननीय राष्ट्रपति ने आइडिया को उद्यम में बदलने के उनके प्रयासों की सराहना की और भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने में उनकी सफलता के महत्व पर जोर दिया।
11. राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग मुख्य रूप से सभी भारतीय राज्यों में स्टार्टअप ईकोसिस्टम की सहायता करने वाली उत्कृष्ट कार्य-पद्धतियों की पहचान करने की एक प्रक्रिया है। मूल्यांकन में प्रत्येक राज्य में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन तथा विशेष प्रोत्साहन का आकलन करने के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल किए गए हैं। विशेष कार्रवाई बिंदु पर सक्रिय भागीदारी देखी गई है और उसमें भाग लेने वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए उपायों की रिपोर्टिंग की गई है।

12. देश में नवप्रयोग, समावेशिता और विविधता तथा उद्यमशीलता की व्यापकता, गुणवत्ता और विस्तार की पहचान करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार (एनएसए) की शुरुआत की है। एनएसए 20 क्षेत्रों और विशेष श्रेणियों में स्टार्टअप को मान्यता देता है और इनका संवर्धन करता है। एनएसए के सभी चार संस्करणों (2020, 2021, 2022 और 2023) में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए विशेष श्रेणी और पुरस्कार को शामिल किया गया है।

*****

अनुबंध-IV

दिनांक 03.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1157 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2021, 2022 और 2023 में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के लिए एफएफएस के तहत चयनित एआईएफ द्वारा किए गए निवेश का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैः

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021	2022	2023
कनार्टक	41.25	83.86	39.11
महाराष्ट्र	149.77	180.6	42
दिल्ली	226.22	66.35	9.8
गुजरात	186.11	28	19.6
हरियाणा	25.2	126.67	19.58
तमिलनाडु	30.1	107.07	8
केरल	90	-	-
तेलंगाना	-	-	7.5
उत्तर प्रदेश	-	14.88	-
राजस्थान	-	30.82	-
पंजाब	-	-	-
असम	3	0.5	-
मणिपुर	3	0.5	-
मध्य प्रदेश	-	1.65	-
नागालैंड	-	-	0.65
मेघालय	-	0.35	-
कुल	**754.6**	**641.2**	**146.2**

*****

अनुबंध-V

दिनांक 03.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1157 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2021, 2022 तथा 2023 में एसआईएसएफएस के तहत चयनित इनक्यूबेटर्स द्वारा महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के लिए अनुमोदित निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैः

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021	2022	2023
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-		0.04
आंध्र प्रदेश	-	0.65	2.95
अरूणाचल प्रदेश	-	0.2	-
असम	0.2	0.5	0.8
बिहार	-	0.6	3.03
चंडीगढ़	-	0.15	0.65
छत्तीसगढ़	-	0.12	0.44
दिल्ली	0.99	1.91	7.58
गोवा	0.55	0.15	0.2
गुजरात	0.9	3.54	7.12
हरियाणा	0.15	1.47	4.23
हिमाचल प्रदेश	-	0.1	0.95
जम्मू और कश्मीर	-	-	0.3
झारखंड	0.4*	-	0.25**
कर्नाटक	2.22	11.99	12.14
केरल	0.5	1.95	0.94
मध्य प्रदेश	0.5	3.32	1.89
महाराष्ट्र	2.1	8.93	18.52
मेघालय	-	0.2	-
मिजोरम	-	-	0.25
नागालैंड	-	0.25	0.3
ओडिशा	0.1	1.07	2.22
पुदुचेरी	-	0.16	0.2
पंजाब	-	0.1	1.07
राजस्थान	0.21	2.05	3.29
सिक्किम	-	0.05	-
तमिलनाडु	1.93	3.56	6.2
तेलंगाना	1.15	6.17	5.7
उत्तर प्रदेश	1.57	2.42	6.23
उत्तराखंड	-	0.85	0.65
पश्चिम बंगाल	-	0.71	0.85
कुल	**13.47**	**53.17**	**88.99**

*रांची जिले में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप हेतु अनुमोदित।

**धनबाद जिले में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप हेतु अनुमोदित।

अनुबंध-VI

दिनांक 03.12.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1157 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले वर्ष अर्थात् वर्ष 2023 में सीजीएसएस के तहत महिलाओं के नेतृत्व वाले ऋण प्राप्तकर्त्ता स्टार्टअप्स को ऋण राशि (करोड़ रुपए में) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैः

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2023 में गारंटीकृत ऋण राशि
हरियाणा	7.15
कर्नाटक	5
केरल	0.5
तमिलनाडु	0.65
तेलंगाना	0.3
कुल	**13.6**

*****